तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8-6-18	पक्षकारान उप / अनु / वकील प्रार्थी / अप्रार्थी उपस्थित आये। उप. / अनु. / पत्रावली लोक अदालत में पेश हुयी। पक्षकारान में समझाईश की गई। परन्तु राजीनामा नही हुआ अतः पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लोटायी जावें। 19-7-18 वास्ते बहस (हस्ताक्षर)
19.7.18.	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी। राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति खाता सं. 16 ग्राम कांकराडूंगरी कायम रखने का आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली संलग्न मूल वाद रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

प्रार्थना पत्र संख्या 69/प्रार्थना पत्र/15 पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा **RAS**

दायरा दिनांक– 19.06.15

उनवान

1. बाबूलाल आयु 40 वर्ष पुत्र रतिराम जाति नाई निवासी कांकरा डूंगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.
2. रामप्रसाद आयु 48 वर्ष पुत्र रतिराम जाति नाई निवासी कांकरा डूंगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.

––प्रार्थीगण

बनाम

1. सुशीला आयु 50 वर्ष बेवा हीरालाल जाति नाई निवासी कांकरा डूंगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.।
2. रामलिवास आयु 30 वर्ष
3. धर्मेन्द्र आयु 26 वर्ष
4. रामावतार आयु 24 वर्ष
   पिसरान हीरालाल जाति नाई निवासी कांकरा डूंगर तहसील इन्द्रगढ।
5. मन्जू बाई आयु 35 वर्ष पुत्री हीरालाल पत्नि महावीर जाति नाई निवासी सुन्दरपुरा लोइचा तहसील बून्दी राज.।
6. राज. राज्य द्वारा सरकार तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.।

––प्रतिपक्षीगण

निर्णय दिनांक–19.07.18

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट जर्ये अधिवक्ता पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

खाता संख्या 61 के खसरा नं. 580 रकबा 1.00 है. खसरा नं. 581 रकबा 0.73 है. खसरा नं. 582 रकबा 0.65 है. खसरा नं. 584 रकबा 0.30 है. खसरा नं. 585 रकबा 0.10 है. खसरा नं. 589 रकबा 0.40 है. खसरा नं. 590 रकबा 0.17 है. कुल किता 8 कुल रकबा 4.10 है. वाके ग्राम कांकरा डूंगर व खाता संख्या 102 के खसरा नं. 576 रकबा 0.90 है , 579 रकबा 0.36 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 है. वाके कांकरा डूंगर व खाता संख्या 110 के खसरा नं. 781 रकबा 0.13 है. खसरा नं. 783 रकबा 0.18 है. खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

784 रकबा 0.13 है. खसरा नं. 785 रकबा 0.18 है. खसरा नं. 786 रकबा 0.12 है. खसरा सं. 788 रकबा 0.24 है. खसरा नं. 789 रकबा 0.04 है. खसरा नं. 790 रकबा 0.15 है. खसरा नं. 791 रकबा 0.15 है. कुल किता 9 कुल रकबा 1.32 है. वाके ग्राम कांकरा डूंगर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज. में स्थित है।

खाता संख्या 61 के खातेदार कॉलम में निर्मला बाई पत्नि राजेन्द्र कुमार कोम गुर्जर सा. नयापुरा हिस्सा 1/3 सुशीला बैवा हीरालाल, रामविलास, धर्मेन्द्र , रामावतार , पिसरान हीरालाल , मन्जू पुत्री हीरालाल हिस्सा 2/3 कौम नाई हिस्सा बराबर सा देह खातेदार व खाता संख्या 102 के खातेदार कॉलम में भवानी शंकर आ. चौथमल प्रेमबाई बैवा चौथमल मदन आ. केशरा हिस्सा 1/2 व रामलिवास, धर्मेन्द्र, रामावतार, पिसरान हीरालाल सुशीला बैवा हीरा मन्जु पुत्र हीरा हिस्सा 1/2 कौम नाई सा. देह खातेदार खाता सं. 110 के खातेदार कॉलम में मन्नीबाई पत्नि कन्हैयालाल हिस्सा 46/132 रामप्रसाद, बाबूलाल पिसरान रतीराम हिस्सा 20/132 हिस्सा बराबर भवानीशंकर पुत्र चौथमल, प्रेमबाई बेवा चौथमल मदन पुत्र केसरा हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर दर्ज चली आ रही है।

पूर्व खसरा नं. 319 रकबा 11 बिघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 321 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 442 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 30 बिघा 13 बिस्वा में खातेदार रामप्रसाद, बाबूलाल, हीरालाल पिसरान रतीराम कौम नाई सा. देह गैर खातेदार में व पूर्व खसरा नं. 315 रकबा 5 बिघा 13 बिस्वा खसरा नं. 318 रकबा 2 बिघा 7 बिस्वा खसरा नं. 424 रकबा 3 बिघा 13 बिस्वा खसरा नं. 426 रकबा 4 बिघा 13 बिस्वा खसरा नं. 427 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 16 बिघा 15 बिस्वा थी जिसको तीनो भाई रामप्रसाद, बाबूलाल, हीरालाल पिसरान रतिराम ने बराबर बराबर करने के लिए बडे भाई हीरालाल वल्द रतिराम ने एक लेख दिनांक 04.05.1995 को रूबरू गवाहन निष्पादित किया था जिससे वादीगण व प्रतिवादी आज तक पाबन्द है स्टोपड है।

दिनांक 04.07.2007 को दो हक त्याग कमांक 229,232 दिनांक 04.07.2007 पक्षकारों ने किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता हीरालाल ने अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा वादीगण बाबूलाल व रामप्रसाद के हक में हक त्याग निष्पादित करना था जिसको स्व. हीरालाल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों ने अपना स्वयं का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो जाने से बेईमानी आ गई है एवं उनके हिस्से 1/3 को वादीगण के पक्ष में हक त्याग किया जाना चाहिए था एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को अपना नाम राजस्व रिकार्ड में से हटवा लिये जाना चाहिए किन्तु वाद वर्णित कृषि भूमि के खाता संख्या 61 में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का हिस्सा 2/3 अंकित हो रहा है जिसमें वादीगण ने दिनांक 30.03.2015 को अपने 1/3 हिस्से हक व अधिकार की मांग की तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने स्पष्ट मना करा दिया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned by CamScanner

खाता सं. 61 में प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 5 अपने नाम का लाभ लेकर अन्य व्यक्ति को रहन, बय, दान कर खुर्द बुर्द नही करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना अति आवश्यक है प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना असम्भव होगी।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया केस प्रमाणित है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावे।

प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि के खाता सं. 61 के राजस्व रिकार्ड में प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 2/3 का लाभ लेकर रहन , बय, दान, कर हस्तानांनतरण नहीं करे इस कदर जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध पारित की जावे एवं रिकार्ड एवं मौके की ताफेसला मुल वाद यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। नियत पेशी 24.09.15 को अप्रार्थी सं. 6 बाद तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 17.11.16 को अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 8.11.17 को अप्रार्थी सं. 5 बाद तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। नियत पेशी पर विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खाता सं. 61 कुल किता 8 कुल रकबा 4.10 है. ग्राम कांकराडूंगर में अप्रार्थी 1 लगायत 5 का हिस्सा 2/3 अंकित हो रहा है जिसमें अप्रार्थी 1 लगा 5 का पिता हीरालाल ने अपने हिस्से का 1/3 का हिस्सा वादीगण बाबुलाल व रामप्रसाद के हक में हक त्याग निष्पादित करना था जिसको स्व. हीरालाल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों ने अपना स्वयं का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो जाने से बेइमानी आ गई है।

खाता सं. 61 में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का हिस्सा 2/3 अंकित हो रहा है जिसमें वादीगण ने दिनांक 30.03.2015 को अपने 1/3 हिस्से हक व अधिकार की मांग की तो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 ने स्पष्ट मना कर दिया। खाता संख्या 61 में प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 5 अपने नाम का लाभ लेकर अन्य व्यक्ति को रहन, बय, दान कर खुर्द बुर्द नही करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना अति आवश्यक है प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना असम्भव होगी।

उपखण्ड अधिकारी
लाडेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया केस प्रमाणित है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार है–

1. प्रथम दृष्टया मामला – मुताबिक जमाबंदी संवत 2069–2072 खाता सं. 61 तथा हकत्याग कमांक 229 और 232 के तथा लेख दिनांक 04.05.1995 अवलोकन के पश्चात प्रार्थीगण का नाम उक्त जमाबंदी के राजस्व रिकार्ड में नहीं है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र के चरण सं. 4 व 5 में जो कथन किया गया है के आधार पर आंशिक रूप से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है।
2. सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति– सभी संभावनाओं और अधिसंभावनाओं की तुलना करने पर उक्त दोनो घटक प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक रूप से ही सिद्ध हो पाते हैं।

अतः विवादित आराजी खाता सं. 61 ग्राम कांकराडूगर को अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति कायम रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner